

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 189]
No. 189]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 29, 2005/पौष 8, 1927
DELHI, THURSDAY, DECEMBER 29, 2005/PAUSA 8, 1927

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 580
[N.C.T.D. No. 580

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2005

सं. फ. 19(183)/परि. वि./सचि./05/1428. — मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (41) के साथ पठित धारा 115 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल संतुष्ट हैं कि जन सामान्य की सुरक्षा तथा सुविधा को देखते हुए आवश्यक है कि दिल्ली/नई दिल्ली के क्षेत्र के सामान वाहनों के आवागमन को विनियमित किया जाना चाहिए, विशेषतः सर्वाधिक व्यस्त समय में, अतः इसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सभी सड़कों/क्षेत्रों में सर्वाधिक व्यस्त यातायात समय अर्थात् सभी सप्ताह दिवसों में प्रातः 8.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक एवं सायं 5.00 बजे से सायं 10.00 बजे तक तिपहिया हल्के सामान वाहनों को चलाना निषेध किया जाता है।

उपरोक्त प्रतिबन्ध उन तिपहिया हल्के सामान वाहनों पर लागू नहीं होगा जो सरकारी विभागों/उपक्रमों से जुड़े हैं और जो अनिवार्य सामान जैसे पानी, दूध तथा दूध उत्पादों, दवाइयों, ऑक्सीजन तथा अन्य विनिर्दिष्ट सामान जैसे कूड़ा आदि जिसका परिवहन तत्काल/प्राथमिकता आधार पर किया जाना आवश्यक होता है, को ढोने का कार्य करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
विजय एस० मदान, सचिव-एवं-आयुक्त (परिवहन)

TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION

Delhi, the 29th December, 2005

No. F. 19(183)/Tpt./Sectt./05/1428. — In exercise of the powers conferred by Section 115 read with clause (41) of Section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the interest of public safety and convenience of the general public to regulate movement of goods vehicles in Delhi/New Delhi areas particularly during peak hours of traffic, hereby, prohibits the driving of three wheeler light goods vehicles on all the roads/areas of NCT of Delhi during peak traffic hours i.e. from 08.00 a.m. to 11.00 a.m. and 05.00 p.m. to 10.00 p.m. on weekdays.

The above restrictions shall not be applicable to the three wheeler light goods vehicles belonging/attached to Government departments/undertakings and those carrying essential commodities like water, milk and milk products, medicines, oxygen, and other specified material such as garbage which need to be transported on emergent/priority basis.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
VIJAY S. MADAN, Secy. -cum-Commissioner(Tpt.)